(ख) इस परियोजना के निर्माण पर लगभग 100 करोड़ रुपये का कुल व्यय होने की संभावना है ।

(ग) अभी इस परियोजना का मूल्यांकन किया जा रहा है ।

Procedure of Compensation for road Accidents

1134. SHRI SURESH KALMADI:

SHRI BHUBANESWAR KALITA:

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT he pleased to state:

(a) whether Government propose to simplify the procedure for claiming compensation for Road accidents; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) and (b) The Central Government is proposing to formulate a scheme under which the victims/heirs of roads accidents shall have the option to claim pre-determined amount of compensation direct from the Insurance Company without filing a claim with the Motor Accidents Claims Tribunal. The main features of the scheme are to simplify the procedure, and ensure payment of pre-determined amount of compensation to the claimants within six months from the date of fifing the claim. This requires amendment of the Motor Vehicles Act 1988 for which Government has initiated necessary action.

Vulnerability of DTC Bus stops to Accidents

1135. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government have made any attempt to identify the various DTC bus stops in Delhi which are vulnerable to accidents;

(b) it no, what are the details thereof; and

(c) what measures Government have taken to bring improvements at such bus stops to minimise mishaps?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) to (c) DTC have identified 60 accident prone areas/points. Where required, decision on construction of slipways and speed breakers are taken.

Refersher Course for Drivers are conducted and they are informed of these accident prone areas/points so that they may keep vigil while passing through these areas

दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में बसें

1136. डा. जितेन्द्र कुमार जैन :

श्री राम जेठमलानी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में चलने वाली बसों की संख्या इस समय केवल 4100 है ;

(ख) क्या यह सच है कि इसमें से लगभग 1600 बसों को हटाये जाने की संभावना है और इसमें चालू वर्ष के अन्त तक 600 नई बसें जोड़ी जायेंगी ;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली में परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिल्ली की सड़कों पर लगभग 7000 या अधिक बसें चलाने की आवश्यकता है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि दिल्ली की सड़कों पर निजी क्षेत्र द्वारा चलाये जाने के लिए केवल 300 बसों को परमिट जारी करने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या आगामी वर्ष तक दिल्ली वासियों की परिवहन समस्या

का समाधान हो जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) 20-2-1992 को दिल्ली परिवहन निगम के बस बेड़े में 4378 बसें थीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सड़क परिवहन संबंधी आठवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यदल ने वर्ष 1991-92 के दौरान दिल्ली में 8427 बसों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया है ।

(घ) और (ङ) दिल्ली प्रशासन ने निजी प्रचालकों को 3000 अतिरिक्त स्टेज कैरिज परमिट प्रदान करने के लिये एक योजना तैयार की है । इसके अतिरिक्त दिल्ली प्रशासन ने, दिल्ली के यात्रियों की ट्रैफिक संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए, निजी प्रचालकों को 100 स्पेशल स्टेज कैरिज परमिट प्रदान करने की एक स्कीम बनाई है । जिसके अन्तर्गत भाड़ा ढांचा दिल्ली परिवहन निगम के भाड़े ढांचे से अधिक होगा और यह अधिक आरामदायक होगी ।

दिल्ली परिवहन निगम पर व्यय

1137. **श्री रणजीत सिंह :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

(क) क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में लगभग 4100 बसें चल रही हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन बसों को चलाने वाले कर्मचारियों का मासिक वेतन 9 करोड़ रुपये हैं, इसके अतिरिक्त अन्य मदों पर एक माह में 9 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आता हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विषय में विशेषज्ञों की राय प्राप्त की है यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) 20-2-1992 की स्थिति के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में 4378 बसें हैं ।

(ख) जनवरी, 1992 महीने का कार्य खर्च (ब्याज और मूल्य ह्रास को छोड़कर) 1913.18 लाख रु० (अनंतिम) है जिसमें मासिक वेतन के रूप में 969.06 लाख रु० शामिल हैं ।

(ग) जी नहीं ।

Loss to DTC due to private buses plying without permits

1138. SHRI SHANTI TYAGI:
SHRI RAJNI RANJAN SAHU:

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that hundreds of private buses are running on DTC routes without permit causing huge losses to DTC; and

(b) if so, what action Government have taken in this regard; and

(c) if so, what steps Government have taken or propose to take to improve the overall position of the public transport?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) and (b) Some instances of private buses operating without permit have been brought to the notice of the Government. The Delhi Administration has been instructed to take necessary action in this.

(c) Delhi Administration have finalised the scheme for grant of 3000 Stage Carriage Permits to private operators to meet the demands of the commuters.